न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

विकास मीना बनाम छोटेलाल मीना
प्रार्थना पत्र संख्या– 02/23/2024

26.01.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान आराजी खसरा संख्या 202, 208, 212/1471, 258/1470, 286/1316, 316, 905, 996 वाके ग्राम कुण्डला तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी में उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न करें। न ही वादी को जबरन बेदखल करें। अन्त में विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि के संबंध में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में अप्राथीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि ***विवादित आराजी खसरा संख्या 202, 208, 212/1471, 258/1470, 286/1316, 316, 905, 996 वाके ग्राम कुण्डला तहसील टहला जिला अलवर में रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखें।*** अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संवध में अप्रार्थीगण कोई आक्षेप हो तो दिनांक 04.03.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

SSa

उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

04/03/24 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी 1, 2, 4 की ओर से U.T. श्री A.K पटेल Adv. ने पेश, वास्ते पेश होने वकालातनामा व तलबी शेष प्रतिवादी दि. 3/6/24 को पेश हो।

SSa
SDO

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
10/4/25 7/2/25 (फुटकर) पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 4/3/25 को पेश हो। रीडर 4/3/25 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 13/5/25 को पेश हो। रीडर 19.08.25 पत्रावली ~~क्र~~ आई तारीख से पेश हुई। मूलवाद नोट प्रेस के तहत कार्यवाही बंद की जा चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र 212 R.T. Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर जमा मूल वाद के साथ संलग्न हो। SDO	विचाराधीन। [redacted] दो दलाल